न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 168/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांक 2.11.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

उदा आत्मज गंगाराम जाति लोधा निवासी गुरारखेडा तहसील बकानी जिला झालावाड।
..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बकानी जिला झालावाड।
.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 26.8.2021

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड द्वारा मिसल सं. 16/अपील/2019 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान उदा बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दि0 30.10.2019 के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार बकानी जिला झालावाड द्वारा प्रकरण संख्या 179/2019 धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपीलार्थी को ग्राम गुंराडखेडा की आराजी 703/185 रकबा 3.04 बीघा किस्म चारागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 25.7.2019 को 176/– रू0 शास्ति एंव 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे अपील प्रस्तुत की गई जिसे जेरअपील निर्णय दिनांक 30.10.2019 से आशिंक रूप से स्वीकार कर "अपीलार्थी पर अधिरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुये सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया गया कि अपीलांट परीक्षण न्यायालय में 15 योम की अवधि मे 20000/–रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि भविष्य मे उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधी के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास मे दी गई छूठ स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिये पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी"।

2 प्रथम अपीलेट अधिकारी, जिला कलक्टर झालावाड द्वारा पारित उक्त जेरअपील निर्णय दिनांक 30.10.2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को उसके अभिभाषक द्वारा नहीं दी गई इसलिये अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दि0 30.10.2019 की पालना अन्दर 15 योम नहीं कर सका इस कारण अवधि निकलते ही कारावास मे दी गई छूट स्वतः ही निरस्त हो गयी और पृथक से आदेश की आवश्यकता नही रही। पुलिस वालो ने जब अपीलार्थी को गिरफ्तार किया तब सारी

जानकारी हुयी। इस प्रकार अपीलार्थी ने आदेश की पालना करने मे जानबूझ कर कोई त्रुटि नही की है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना करने के लिये पूर्ण रूप से तत्पर है। विवादित आराजी पर अपीलांट व उसके परिवार का कोई कब्जा नही है तथा भविष्य मे भी राजकीय भूमि पर कब्जा नही करेगा। उक्त तथ्यों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के मामले मे वर्णित शर्त की अवधि बढाया जाना आवश्यक है अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील आदेश दिनांक 30.10.2019 मे वर्णिल सिविल कारावास की सजा माफ फरमाई जावे एवं निर्णय मे वर्णित शर्त की पालना हेतु अवधि बढाये जाने बावत आदेश मे संशोधन किये जाने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी पर अपीलांट व उसके परिवारजन का कब्जा नहीं है। जेरअपील निर्णय की जानकारी अपीलांट के अभिभाषक द्वारा नहीं दी जाने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.10.19 मे वर्णित शर्त की पालना 15 योम की अवधि मे नही कर सका तथा अवधि निकलते ही सिविल कारावास की सजा मे दी गई छूट स्वतः ही निरस्त हो गयी। ऐसी स्थिति मे जेरअपील निर्णय मे वर्णित शर्त की पालना हेतु अवधि बढाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को संशोधित किये जाने का अनुरोध किया।

5 रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने जेरअपील निर्णय पालना अवधि मध्य नही किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नही होने से अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

6 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध तहसीलदार बकानी की रिपोर्ट क्रमांक 851 दिनांक 23.10.19 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अपीलार्थी द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया जाना तथा वर्तमान मे भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही होना स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को जेरअपील निर्णय दिनांक 30.10.2019 से आंशिक रूप से स्वीकार कर "तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलार्थी पर अधिरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुये सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया गया कि अपीलांट परीक्षण न्यायालय में 15 योम की अवधि मे 20000/–रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि भविष्य मे उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधी के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास मे दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिये पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी"। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि "उसके अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय की जानकारी नही देने के कारण 15 दिवस की अवधि मे उक्त आदेश मे वर्णित शर्त की पालना नही सका तथा अवधि निकलते ही सिविल कारावास की सजा मे दी गई छूट स्वतः ही निरस्त हो गयी। ऐसी स्थिति मे जेरअपील निर्णय मे वर्णित शर्त की पालना हेतु अवधि बढाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को संशोधित किये जावे"। अपीलांट के तर्क के खण्डन मे पत्रावली मे ऐसे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है जिससे अपीलांट का कथन अविश्वसनीय प्रकट होता

हो। ऐसी स्थिति मे सहज न्याय के दृष्टिगत न्यायहित मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे पारित जेर अपील निर्णय दिनांक 30.10.2019 को आशिंक रूप से संशोधित किया जाता है कि परीक्षण न्यायालय तह0 बकानी द्वारा अपीलांट पर अधिरोपित शास्ति व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुये सिविल कारावास मे भुगती हुई सजा को छोडते हुये शेष सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विचारण न्यायालय तहसीलदार बकानी मे 15 योम की अवधि मे 20000/–रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करें तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य मे उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगे। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल करावास मे दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी तथा अधीनस्थ/विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

7 निर्णय आज दिनांक 26.8.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा